कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 20172/2019 रमेश चन्द मीना, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य, राउमावि निभैरा, सपोटरा जिला करौली से राउमावि, कुंआ जिला डूंगरपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से उक्त आदेश के विरूद्ध अन्तरिम स्थगनादेश प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/रमेश चन्द मीना/20172/2019 दिनांक 13.12.2019 द्वारा श्री रमेश चन्द मीना, प्रधानाचार्य को माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश के अध्यधीन राउमावि निभैरा, सपोटरा जिला करौली में एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री राजेश कुमार मीणा को दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, करौली में दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्पश्चात् श्री राजेश कुमार मीणा को विभागीय आदेश दिनांक 24.12.2019 द्वारा याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि कस्वानगर, बाडी जिला धौलपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया।

माननीय एकलपीठ द्वारा जारी उक्त एकपक्षीय अन्तरिम स्थगनादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 47/2020 राजस्थान सरकार व अन्य बनाम रमेश चन्द मीना व अन्य दायर की गई। अपील में माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.09.2020 द्वारा माननीय एकलपीठ के अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 03.12.2019 को अपास्त किया गया है। उक्त आदेश के अपास्त किये जाने के फलस्वरूप विभागीय आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 याचिका संख्या 20172/2019 में याचिकार्थी श्री रमेश चन्द मीना एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 श्री राजेश कुमार मीणा के सम्बन्ध में पुनः प्रभावी हो गया है। अतः विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में श्री रमेश चन्द मीना को कार्यमुक्त कर आदेशित किया जाता है कि वे अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि कुंआ जिला डूंगरपुर में तत्काल कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें। श्री राजेश कुमार मीणा, अन्तरिम रूप से समायोजित प्रधानाचार्य, राउमावि कस्वानगर, बाडी जिला धौलपुर को राउमावि निभैरा, सपोटरा जिला करौली में प्रधानाचार्य पद पर कार्यग्रहण की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/डी.बी स्पेशल अपील/47/2020 दिनांकः 09/10/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर/भरतपुर संभाग, उदयपुर/भरतपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डूंगरपुर/करौली/धौलपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, डूंगरपुर/करौली/धौलपुर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सपोटरा जिला करौली को पाबन्द किया जाता है कि वे श्री रमेश चन्द मीना को तत्काल स्थानान्तरित स्थान हेतु कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)